3-11-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस प्रा-पत्र धारा 11 जा-दी- पर पूर्व मे सुनी गई वकील प्रार्थी [प्रतिवादी] ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि वर्णित आराजियत के सम्बन्धित न्यायालय श्रीमान मे पूर्व मे प्र-सं- 49/97 चला जो निरस्त हो चुका है। एक ही विषय वस्तु को लेकर जब पूर्व मे न्याय निर्णय हो चुका है तो दुबारा पक्षकार को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। जिससे वाद वादी गण का निरस्त किया जावे। इस पर वकील विपक्षी [वादी] ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रकरण का निस्तारण गुण-अवगुण पर नही हुआ है। उसमे पक्ष विषयवस्तु और अधिकार तय नही हुए है। प्रार्थी [प्रतिवादी] ने अपूर्ण जानकारी दी है। प्रकरण को विलम्बित करने की गरज से प्रा-पत्र पेश किया गया है। जिसे प्रार्थी [प्रतिवादी] का प्रा-पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। व प्रकरण का गहन अवलोकन करने पर प्रकरण मे सलगन नकल निर्णय प्र-सं- 45/97 व अनवान सोहनी बाई व/s छोगा वाद अ- धा- 53-183 R.T.A निर्णय दिनांक 15-5-2004 की छाया प्रति का अवलोकन किया गया जिसमे एक ही आराजी है। व पक्षकार विधिक वारसान व पक्षकार है। जो प्रकरण मे सुनकर निर्णय किया गया है। जब इस न्यायालय द्वारा वाद वर्णित आराजी का निर्णय दिनांक 15-5-2004 कर दिया गया है तो अब इस न्यायालय द्वारा निर्णय नही किया जा सकता है।

अतः वाद वादी का अ-धा- 53-88-188 R.T.A के प्रस्तुत प्रा-पत्र आ धा 11-जा-दी- का स्वीकार किया जाता है। दावा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर ...